उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या 266/XXII/2005-9(31)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक 13 अक्टूबर, 2005

पत्रांक 9143
दिनांक 24/10/05

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22/2005) की धारा 27 की उपधारा- (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन नियम, 2005 है।

(2)- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- परिभाषायें:-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क)- "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख)- "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(ग)- उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगें जो उस अधिनियम में हैं।

3- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 दस की फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4- धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/ लेखा अधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत;

(ख)- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नही होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू0 पॉच की फीस का भुगतान किया जाना होगा;

(ग)- प्रदर्शों एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

5- अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क)- डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिये जाने हेतु, रू0 पचास प्रति फ्लॉपी/डिस्केट; और

(ख)- किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये।

(डी0के0कोटिया)